



पत्रांक :1609 /

लेखा - 02

/ 100

दिनांक 04/09/2025

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत समान कार्यो के अनुभवी ठेकेदारों से **टू बिड पद्धति** पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार आनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती हैं जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, तेलियरगंज, प्रयागराज में खोली जायेगी। कार्य की मात्राए बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय इण्टर कालेज खुज्जा, जनपद-सोनभद्र के अवशेष निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	95.00	1.90	3000.00.00 + 18% GST	03 months

ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण तिथियां :-

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download start date	08.09.2025 (5:00PM)
Document Download End date	19.09.2025 (3:00PM)
Bid submission start date	08.09.2025 (5:00PM)
Bid submission End date	19.09.2025 (3:00PM)
Technical Bid Opening date	19.09.2025 (3:30 PM)
Financial Bid Opening date (For Two Bid)	To be declared after opening technical bid and their verification.

नियम व शर्तें-

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है :-

खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस०सी० कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, प्रयागराज-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रयागराज।	एच०डी०एफ०सी० बैंक	माधोकुंज, नया कटरा, इलाहाबाद।	50100511632738	HDFC0004664

2. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर०टी०जी०एस० का यू०टी०आर० के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
4. निविदादाता फर्म का आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
6. शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रेट/बैलास्ट इत्यादि पर रायल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुम्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करता है, तो निर्धारित रायल्टी की धनराशि नियमानुसार फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
7. निविदा की वित्तीय बिड के साथ दरों के तीन माह की वैधता हेतु रु० 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो ठेकेदार ही वहन करेगा।
9. निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आई०एस० कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियम निमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी।
11. निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु वांछित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
13. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें तथा कार्यस्थल का जी०ओ० टैगिंग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
15. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनवाकर जमा करनी होगी।
16. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असांभाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
17. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
18. निविदादाता/फर्म का जी०एस०टी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
19. ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार, आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे की कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से देय होगी।
20. अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा बिजली कार्य एवं दीमक रोधी कार्य हेतु पंजीकृत होने अथवा उसके द्वारा रु० 10.00 के स्टैम्प पेपर पर बिजली कार्य एवं दीमक रोधी कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से कार्य कराने का शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
22. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
23. जमानत धनराशि कार्य समाप्त अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगत की तिथि, जो बाद में हो से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के उपरान्त तीन वर्ष होगी, जिसके लिए कार्य की लागत का एक प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
24. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
25. जी०पी०डब्ल्यू०, फार्म-9 एवं अल्पकालीन ई-निविदा सूचना अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. अन्तिम बीजक का भुगतान, कार्य को सम्बन्धित विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त ही किया जायेगा।
27. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह में अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
28. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण पत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
29. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
30. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी०ओ०क्यू० की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
a 10% तक Below दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
b. 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
31. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
32. तकनीकी बिड की चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होंगी, यदि दस्तावेज सही नहीं पाये जाते हैं, तब निविदा को सील कर दिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता की फाईनैशियल बिड नहीं खोली जायेगी।
33. शासन अथवा सम्बन्धित विभाग से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
34. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
35. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात् निर्माण खण्ड, प्रयागराज-01 हेतु जनपद-प्रयागराज होगा।
36. प्रस्तावित कार्यस्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई-निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
37. सम्बन्धित विभाग के साथ परिषद द्वारा किया गया एम०ओ०यू० अनुबन्ध का अविभाज्य भाग होगा तथा एम०ओ०यू० में निहित समस्त शर्तों/दायित्वों का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा।
38. निर्माणाधीन भवन के आस-पास के भवनों के टूट-फूट के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र रु० 100.00 के स्टैम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
39. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का साप्ताहिक माइलस्टोन/साप्ताहिक बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न करना होगा तथा रु० 100.00 के नॉन ज्युडीशियल स्टैम्प पेपर पर बारचार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

(Handwritten signatures and initials)

40. निविदादाता टेक्निकल बिड का भलि प्रकार अध्ययन करते हुए सभी वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें, जिनमें चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
41. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार निर्माण सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
42. निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी निर्माण सामग्री की टेस्टिंग विभाग द्वारा भी करायी जा सकती है। टेस्टिंग पर आने वाला व्यय की कटौती फर्म के बीजक से की जायेगी।
43. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टिफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
44. निविदा की वैधता तीन माह होगी।
45. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
46. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

पृष्ठ सं० : 1609

/उक्त/ 100

दिनांक : 09/07/2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, ग्लोबल कन्सल्टेशन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज-02, प्रतापगढ़, निर्माण खण्ड वाराणसी-01/02/03 तथा निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, 02।
4. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लेखाकार, निर्माण खण्ड प्रयागराज-01, तेलियरगंज, प्रयागराज।
6. नोटिस बोर्ड।

(नन्द किशोर)
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता